

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प

क्रमांक: राजस्व/2021/

दिनांक : / /2021

04/2022

आदेश

आवेदक श्री गोपीराम पुत्र भोगीलाल ने तहसील कोटखावदा में ग्राम खन रकवा काठ पाँचपुरा स्थित आराजी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 5 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम काठ पाँचपुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 5 की प्रविष्टि के स्थान पर गोपीराम पुत्र भोगीलाल किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का काठ पाँचपुरा की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री गोपीराम पुत्र श्री गोपीराम जाति श्री आ निवासी काठ पाँचपुरा तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 5 पर अंकित प्रविष्टि काठ पाँचपुरा के स्थान पर गोपीराम पुत्र भोगीलाल किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

क्रमांक: राजस्व/2021/778

- प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-
1. तहसीलदार कोटखावदा
2. पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
दिनांक : 05/01/2021

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)